

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना
२०११-२०१२ चे जिल्हानिहाय व योजनानिहाय
अर्थसंकल्प तरतुदीचे वाटप "जलसंधारण"

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०११/प्र.क्र.२२ अ/का.६
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक :- १ जून, २०११.

- वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.लेखानु -२०.११/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प-३, दि.३१.३.२०११
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.लेखानु -२०.११/प्र.क्र.३७/अर्थसंकल्प-४, दि.८.४.२०११
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अंदाज २०.११/प्र.क्र.९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, दि.६ मे, २०११
४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक टिएसपी-२००८/प्र.क्र.६/का.६, दि.१६.१२.२००९

शासन निर्णय :- आदिवासी उपयोजनांतर्गत "जलसंधारण"या उपशिर्षाखाली सन २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदीचे योजनानिहाय व जिल्हानिहाय वाटप आणि प्रत्येक योजनांचे नियंत्रण अधिकारी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविले आहेत. आता "महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक सन २०११" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखाअनुदान) अधिनियम, २०११ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४: मध्ये विनियोजित करण्यात आलेल्या रक्कमांसह) यास विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेले आहे, आणि ते २०११ चा अधिनियम क्रमांक १७ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग ८ दिनांक २१.४.२०११ यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले असल्यामुळे उपरोक्त संदर्भ क्र.(३) अन्वये आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेच्या सन २०११-१२ करीता जिल्हानिहाय/योजनानिहाय वितरीत केलेल्या तरतुदी शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी वितरीत करण्यास तसेच खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे.

२. तसेच सदर खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार खर्च करावा. मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये पुढे-मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सर्व नियंत्रक अधिकारी / अंमलबजावणी अधिकारी यांनी सदर तरतुदी खर्च करतांना वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अंदाज २०११/प्र.क्र.९३/अर्थसंकल्प-३, दि.६ मे, २०११ च्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरेपणे पालन करावे.

३. वित्तीय वर्ष सन २०११-१२ च्या प्रथम नऊमाही करीता आवश्यक असणारा योजनेतर व योजनांतर्गत अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ७५ टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरित केला जाईल. डिसेंबर अखेर खर्चाचे प्रमाण ६५ टक्केपेक्षा कमी असल्यास याप्रमाणात सुधारित अंदाजात कपात करण्यात येईल. सुधारित अंदाज सन २०११-१२ मंजूर करताना प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाणातच मंजूर केले जातील याची नोंद घ्यावी.

४. नियंत्रण अधिकारी आणि विभागप्रमुख यांनी ही तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी मान्य योजनांवर खर्च होतील याची दक्षता घ्यावी. तसेच या तरतुदी खर्च करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी-२००३/प्र.क्र.१०१/का.६, दिनांक २६ जुलै, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.५९/का.६, दिनांक १० नोव्हेंबर, २००५ मधील अर्टीचे कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात येत असलेल्या तरतुदी मासिक खर्च विवरणपत्राप्रमाणे खर्च करण्याची दक्षता सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी.

५. आदिवासी उपयोजनेतर्गत उपलब्ध करून दिलेली तरतुद फक्त आदिवासी लोकांकरिता वा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी केलेली तरतुद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लोकांकरिता खर्च करण्यात यावी. आदिवासी उपयोजनेतर्गत केलेली तरतुद आदिवासी क्षेत्राबाहेर किंवा सर्वसाधारण योजनेखाली खर्च करण्यात येवू नये. जर आदिवासी उपयोजनेत केलेली तरतुद खर्च झाली नाही तर सदर तरतुद प्रत्यार्पित करावी व कोणत्याही

परिस्थितीत आदिवासी क्षेत्राबाहेर खर्च करण्यात येवू नवे. जर आदिवासी उपयोजनेची तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेर खर्च झालेली आढळल्यास याबाबत आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, संबंधित जिल्हाधिकारी व नियोजन अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच आदिवासी उपयोजनेतर्गत जिल्हा योजनांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल लेखाशिर्षनिहाय/उप लेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती जिल्हाधिकारी तसेच नियोजन अधिकारी यांनी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास व आदिवासी विकास विभागस प्रत्येक महिन्यात १० तारखेपर्यंत न चुकता पाठवावी.

६. विभागाच्या दिनाक १६ डिसेंबर, २००९ च्या शासन निर्णयाव्दरे जिल्हास्तरीय योजना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राबविण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले असल्यामुळे योजनेसाठी केलेली तरतूद त्याच योजनेवर त्याच जिल्हात खर्च करणे बंधनकारक राहिल. त्यानुसार जिल्हा योजनेसाठी केलेली तरतूद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. तथापि, हाती घेण्यात येणारी कामे संबंधित विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांचेशी चर्चा करून निश्चित करावी. प्रगतीपथावरील (ongoing works) कामांपैकी ज्यामध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त खर्च झालेला आहे त्याचावर खर्च करावा. अपवादात्मक परिस्थितीत अशी कामे ज्यावर ५० टक्के पेक्षा कमी खर्च झालेला आहे व त्यास पूर्ण करणे गरजेचे आहे त्याबाबत शासनाची पूर्व परवानगी घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. तसेच जिहास्तरीय योजनेतील कामांची तपासणी करण्याचे अधिकार व जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच प्रकल्प अधिकारी, अपर आयुक्त व आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची संयुक्तीकरित्या राहिल.


७. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रातील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरून शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल व तो केंद्रशासनाला कळविता येईल.

८. नियंत्रण अधिकारी/विभाग प्रमुख यांनी नियम प्रचलित कार्यपद्धती व सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन चालू योजनांवर खर्च करावा. हे आदेश फक्त अंमलबजावणी /नियंत्रक अधिका-यांच्या अधिनस्त ठेवलेल्या तरतुदीस प्रशासकीय दृष्ट्या मान्य केलेल्या चालू योजनांवर खर्च करण्यासाठी आहे. याची अंमलबजावणी अधिका-यांनी नोंद घ्यावी.

९. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टिएसपी) व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (ओटिएसपी) यांचा खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविण्यासाठी लेखाशिर्षामध्ये काही बदल करण्यात आले असल्यास हे बदल लक्षात घेऊन खर्च नोंदविताना सुधारित लेखाशिर्ष नोंदविण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी.

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०११०६०११४३४२१०१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,


(सु. द. नाईक)
कार्यासन अधिकारी

प्रति,

आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. (५ प्रती)

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती.

विभागीय आयुक्त, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती.

सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ, सर्व जिल्हे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे

मुख्य लेखा व वित्तीय अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व जिल्हे

वित्त विभाग / नियोजन विभाग / ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग (जल-४), मंत्रालय, मुंबई.

वरीष्ट लेखा अधिकारी, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती)

कार्यासन अधिकारी, कार्यासन क्र.२ व ९, अदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप

| | | | | | |
|--|---------------|--|----------------------|--|------------------------|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : लघुपाटबंधारे योजना (स्थानिक स्तर) (जिल्हास्तरीय) (रुपये हजारात) | | मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष : २७०२-लघुपाटबंधारे-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-८०-सर्वसाधारण-७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (०१) (०२) स्थानिक क्षेत्रातील लघुपाटबंधा-यांची कामे (० ते १०० हेक्टर) (२७०२ ४७७२) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) | | | |
| जिल्हाचे नांव | | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द्ध करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | |
| ठाणे | टिएसपी ३५६०० | ओटिएसपी -- | संबंधित जिल्हाधिकारी | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय. | |
| रायगड | २९६८ | ५९३६ | | | |
| नाशिक | ४६१७० | १७००० | | | |
| धुळे | ५४८८७ | -- | | | |
| नंदुरबार | २१२५९३ | -- | | | |
| जळगांव | ५१०० | -- | | | |
| अहमदनगर | २५८३ | १० | | | |
| पुणे | २०७४३ | -- | | | |
| बुलढाणा | -- | ५०० | | | |
| अमरावती | १७५३८ | -- | | | |
| यवतमाळ | ११५०० | ५००० | | | |
| नागपूर | २६२ | ४७२५ | | | |
| गोंदिया | १००० | -- | | | |
| चंदपूर | ४५०० | ५०० | | | |
| गडचिरोली | ४७३२ | -- | | | |
| हिंगोली | -- | ६००० | | | |
| नांदेड | १५००० | २०४३३ | | | |
| एकूण- | ४४३१७६ | ६०१०४ | | | |
| एकूण एकत्रित | ५०३२८० | | | | |

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------------------------|--------------------|--|
| <p>शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (जिल्हास्तरीय)</p> <p>(रुपये हजारात)</p> | | <p>मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष : २७०२-लघुपाटबंधारे-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-८०-सर्वसाधारण-७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (०१) (०४) कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (० ते १०० हे.) (२७०२ ४७९२) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)</p> | | | |
| <p>जिल्हाचे नांव</p> <p>२०११-१२ साठी केलेली तरतूद</p> | | <p>अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी</p> | <p>प्रशासकीय विभाग</p> | <p>शेरा</p> | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | |
| | टिएसपी | ओटिएसपी | | | |
| ठाणे | ३५५०० | -- | | | |
| नाशिक | १६५०० | -- | | | |
| धुळे | ३३२५३ | -- | | | |
| नंदुरबार | ८१२६६ | -- | | | |
| जळगांव | ३८०० | -- | | | |
| अहमदनगर | १५०० | १० | | | |
| अमरावती | १७६३८ | -- | | | |
| नागपूर | १५०० | ५००० | | | |
| वर्धा | -- | ४५०७ | | | |
| भंडारा | -- | २८०० | | | |
| गोंदिया | २४००० | १००० | | | |
| चंद्रपूर | १७५०० | ९००० | | | |
| गडचिरोली | ४८०८४ | -- | | | |
| हिंगोली | | १२२९४ | | | |
| नांदेड | ९००० | १५००० | | | |
| एकूण- | २८९५४१ | ४९६११ | | | |
| एकूण एकत्रित | ३३९९५२ | | | | |

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप

| | | | | |
|---|--|---|---|------|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : मालगुजारी तलावाची दुरुस्ती (जिल्हास्तरीय) (रुपये हजारात) | मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष : २७०२-लघुपाटबंधारे-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-८०-सर्वसाधारण-७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (०१) (०५) माझी मालगुजारी तलावाची दुरुस्ती (० ते १०० हे.) (२७०२ ४८०७) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) | | | |
| जिल्ह्याचे नांव | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द्ध करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| टिएसपी | ओटिएसपी | संबंधित जिल्हाधिकारी | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय. | |
| नागपूर | १५०० | २१८५ | | |
| गोंदिया | ५०० | ५०० | | |
| चंद्रपूर | १०००० | ४००० | | |
| गडचिरोली | ५२७५ | -- | | |
| एकूण- | १४२७५ | ६६८५ | | |
| एकूण एकत्रित | २०९६० | | | |

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप

| | | | | |
|--|--|---|---|------|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : उपसा जलसिंचन योजना. (जिल्हास्तरीय) (रुपये हजारात) | मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष : २७०२-लघुपाटबंधारे-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-८०-सर्वसाधारण-७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) स्थानिक क्षेत्रातील उपसा जलसिंचन योजना (२७०२ ४७८१) (० ते १०० हेक्टर) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) | | | |
| जिल्ह्याचे नांव | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द्ध करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| टिएसपी | ओटिएसपी | संबंधित जिल्हाधिकारी | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय. | |
| नाशिक | १६००० | -- | | |
| धुळे | १७०० | -- | | |
| नंदुरबार | ३००० | -- | | |
| अहमदनगर | २९३७ | ४०३७ | | |
| पुणे | ३२५३ | -- | | |
| यवतमाळ | २०४९ | ४११० | | |
| गोंदिया | १०० | -- | | |
| गडचिरोली | ६५७१ | -- | | |
| एकूण- | ३५६१० | ८१४७ | | |
| एकूण एकत्रित | ४३७५७ | | | |

**आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप
टिएसपी**

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|-------------|--|--|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : ० ते १०० हेक्टर सर्वेक्षण. (जिल्हास्तरीय) (रुपये हजारात) | | मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष : २७०२-लघुपाटबंधारे-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-८०-सर्वसाधारण-७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने (०१) (०१) लघुपाटबंधारे कामांचे अन्वेषण व सर्वेक्षण (कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यासह) (२७०२ १५५९) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) | | | | |
| जिल्ह्याचे नांव | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द्ध करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | | |
| नाशिक | २६३० | संबंधित जिल्हाधिकारी | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय. | | | |
| धुळे | २००० | | | | | |
| नांदेड | १२०० | | | | | |
| एकूण | ५८३० | | | | | |

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------------|---|--|--|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : १०१ ते २५० हेक्टर (जिल्हास्तरीय) (रुपये हजारात) | | मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष : २७०२-लघुपाटबंधारे-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-८०-सर्वसाधारण-७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने (०१) (०१) लघुपाटबंधारे कामांचे अन्वेषण व सर्वेक्षण (कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यासह) (२७०२ १५५९) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) | | | | |
| जिल्ह्याचे नांव | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द्ध करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | | |
| | टिएसपी | ओटिएसपी | संबंधित जिल्हाधिकारी | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय. | | |
| नाशिक | १००० | -- | | | | |
| नंदुरबार | ४००० | -- | | | | |
| गोंदिया | -- | १०० | | | | |
| चंप्रपूर | २००० | -- | | | | |
| गडचिरोली | १००० | -- | | | | |
| एकूण | ८००० | १०० | | | | |
| एकूण एकत्रित | | ८१०० | | | | |

**आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप
टिएसपी**

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : लघुपाटबंधारे कामांचे अन्वेषण व सर्वेक्षण (कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यासह) (जिल्हास्तरीय) (रुपये हजारात) | मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष : २७०२-लघुपाटबंधारे-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-८०-सर्वसाधारण-७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये जिल्हा परिषदाना योजनांतर्गत अनुदाने (०१) (०१) लघुपाटबंधारे कामांचे अन्वेषण व सर्वेक्षण (कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यासह) (२७०२ १५५९) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनतेर) | | | |
| जिल्हाचे नांव | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| चंद्रपूर | २००० | संबंधित जिल्हाधिकारी | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय. | |
| एकूण | २००० | | | |

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : लघुपाटबंधारे योजना (२५० हेक्टर खालील) (जिल्हास्तर योजना) (रुपये हजारात) | मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य लेखाशिर्ष : ४७०२-लघुपाटबंधारे भांडवली खर्च-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०१) लहान पाटबंधा-याची कामे - को.प.बंधारे (१०१ ते २५० हेक्टर) (४७०२ ३६७१) २७-लहान बांधकामे | | | |
| जिल्हाचे नांव | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
| १ | | ३ | ४ | ५ |
| धुळे | ९६४४ | -- | संबंधित जिल्हाधिकारी | बांधकामावरील टक्केवारी खर्च वगळण्यात आला आहे. |
| नंदुरबार | २५०० | -- | | |
| अहमदनगर | ५० | -- | | |
| यवतमाळ | १०७७४ | ४५५५ | | |
| नागपूर | -- | ३४५७ | | |
| चंद्रपूर | ८००० | ७००० | | |
| गडचिरोली | ४००० | -- | | |
| एकूण- | ३४९६८ | १५०१२ | | |
| एकूण एकत्रित | | ४९९८० | | |

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|---|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : उपसा जलसिंचन योजना (२५० हेक्टर खालील) (जिल्हास्तरीय) (रुपये हजारात) | मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य लेखाशिर्ष : ४७०२-लघुपाटबंधारे भांडवली खर्च-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) उपसा जलसिंचन योजनेखाली आदिवासीना १०० टक्के अनुदान. (४७०२ ५२८२) २७-लहान बांधकामे | | | |
| जिल्ह्याचे नांव | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| टिएसपी | ओटिएसपी | संबंधित जिल्हाधिकारी | पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय. | बांधकामावरील टक्केवारी खर्च वगळण्यात आला आहे. |
| नाशिक | १०००० | -- | | |
| अहमदनगर | ५८७० | -- | | |
| अमरावती | ५०००० | -- | | |
| नागपूर | -- | २००० | | |
| गोंदिया | -- | ६०० | | |
| गडचिरोली | ८००० | -- | | |
| एकूण | ७३८७० | २६०० | | |
| एकूण एकत्रित | ७६४७० | | | |

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वाटप

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| शिर्ष : लघुपाटबंधारे योजनेचे नांव : लघुपाटबंधारे योजना (२५० हेक्टर खालील) (राज्यक्षेत्र) (जिल्हास्तरीय) (रुपये हजारात) | मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य लेखाशिर्ष : ४७०२-लघुपाटबंधारे भांडवली खर्च-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०९) स्टेटपुल योजनांतर्गत लहान पाटबंधारे योजना (४७०२ ५२९१) २७-लहान बांधकामे. | | | |
| जिल्ह्याचे नांव | २०११-१२ साठी केलेली तरतूद | अर्थसंकल्पीय तरतूद सुपूर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| टिएसपी | ओटिएसपी | संबंधित जिल्हाधिकारी | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय. | बांधकामावरील टक्केवारी खर्च वगळण्यात आला आहे. |
| ठाणे | ३५५०० | -- | | |
| नाशिक | ११३९५ | -- | | |
| नंदुरबार | १००० | -- | | |
| अहमदनगर | १००० | -- | | |
| यवतमाळ | १०७७४ | ४५५५ | | |
| गोंदिया | -- | ५०० | | |
| चंद्रपूर | १०००० | -- | | |
| एकूण | ६९६६९ | ५०५५ | | |
| एकूण एकत्रित | | ७४७२४ | | |